(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 2933 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, जिसे दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने प्रारंभिकीकरण निष्कर्षों में विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट पदाधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जून, 2020, जिसे सा.का.नि 363 (अ) दिनांक 9 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 28 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अपने प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) पिछले वर्ष की तुलना में इस जांच अवधि के दौरान, विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और साथ ही साथ भारत में इसके उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ii) विषयगत देश से भारत को इस प्रश्नगत उत्पादत का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(iii) इसके घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iv) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस सारवान क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतत्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविश्ष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्सम्बन्धी प्रविश्ष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और माल के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर तथा कॉलम (9) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, बशर्ते कि अवतरण मूल्य उक्त सारणी के कॉलम (7) यथा विनिर्दिष्ट राशि से कम हो, यथा -

शुल्क सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

3.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 9 जून, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क को अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 9 दिसम्बर, 2020 से, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के एक दिन पूर्व तक, नहीं वसूला जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क के द्वारा किया गया हो और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के अन्य स्तर पर लागू होता हो ।

[फाइल संख्या 354/52/2020 -टीआरयू)]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार